सुर साधना

समाज में और प्रकृति के साथ सुर-ताल की साधना
ज्ञान मार्ग

अंक 11, अप्रैल-जून 2026
सहयोग राशि रु. 20/-

अनियमित पत्रक | वाराणसी ज्ञान पंचायत की पहल | सीमित वितरण के लिए

साईं वही ज्ञानी है, जो जाणे पर पीड़

सम्पादकीय

बहुध्रुवीय संरचना की वैश्विक बहस और भारत में परिवर्तन की राजनीति की दिशा

कोविड महामारी के बाद और कृत्रिम बुद्धि के तेज़ी से विकास के चलते दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक संबंधों में बड़ी उथल-पुथल है. राष्ट्रों के बीच शक्ति-संबंध बदल रहे हैं. केवल इतना ही नहीं बल्कि 'राष्ट्र' की अवधारणा और राज्यसत्ता के विचार और ढांचे के नवीनीकरण और पुनर्संगठन की बहस गति ले रही है. यह बहस बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण की बात कर रही है तथा इसके साथ सभ्यतागत राज्य की नई कल्पना के अंतर्गत अकेले अमेरिका की वैश्विक दादागिरी को चुनौती दी जा रही है. **एक तरफ यह बहस साम्राज्यवादी व्यवस्था के ही पुनर्संगठन की बनती है, तो दूसरी तरफ इससे स्वायत्तता और स्वराज जैसे विचारों और उस ओर बढ़ने की क्रियाओं को बल भी मिलता है.**

इसी दौर में भारत जैसे देशों में सत्तासीन सरकारों द्वारा राष्ट्रीय संसाधनों एवं व्यवस्थाओं का अपने स्वार्थ में खुलेआम दुरुपयोग व लोकविरोधी कार्य करना तेज़ी से बढ़ा हैं. चहुँओर झूठ, अन्याय, चोरी का पैमाना भी तेज़ी से बढ़ता गया है. देश की जनता में असंतोष है. यह समझना ज़रूरी है कि यह असंतोष भी केवल राजनीतिक बदलाव से संतुष्ट नहीं होगा बल्कि व्यवस्थागत बदलाव की मांग कर रहा है. राजनीति और सत्ता के बुनियादी ढांचे में बदलाव की मांग कर रहा है.

हाल के आसाम तथा बिहार और फिर बंगाल व तमिलनाडु के चुनावों में केन्द्रीय सरकार और सत्तासीन दल की भूमिका को लेकर चुनावों को लोकतान्त्रिक अथवा लोकप्रतिनिधित्व की अभिव्यक्ति कहने में संकोच है. केन्द्रीय सरकार की विदेश नीति के प्रति भी अविश्वास गहराता जा रहा है. अब शक्तिशाली देशों के बहुध्रुवीय व्यवस्था वाले नव-साम्राज्यों की उपनिवेशीकरण प्रक्रिया में भारत के बहुजन को ये गुलाम बना के ही रहेगी. हाल ही में NEET की परीक्षा के पेपर लीक हो जाने पर शिक्षित नौजवानों में व्यापक असंतोष है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बेरोजगार नौजवानों को 'काक्रोच' (तिलचट्टे) कहकर इस असंतोष को भड़का दिया. इस घटना के चलते काक्रोच जनता पार्टी का गठन हो गया और अब इसके बड़े-बड़े सम्मलेन हो रहे हैं. इस सबने विपक्षी राजनीतिक विचारधाराओं के बीच संवाद की नई परिस्थितियां बना दी हैं. लेकिन यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि नौजवानों का यह असंतोष बदलाव का प्रमुख आधार बनेगा. यह नहीं भुलाना है कि देश के सामान्यजन, किसान, कारीगर, आदिवासी, छोटे-छोटे कारोबारी और महिलाएं निरंतर इस देश की राज्यसत्ता के प्रति अपना असंतोष व विरोध प्रकट करते आ रहे हैं और किसी भी आमूल बदलाव या व्यवस्था में परिवर्तन में इन समाजों की भूमिका होनी ही होगी.

इस सबके बीच ईरान की भूमिका का एक बहुत बड़ा अर्थ है. हाल में अमेरिका-इजराइल ने ईरान पर आक्रमण कर दिया और ईरान ने डटकर मुकाबला कर अमेरिका को झुकाने में सफलता प्राप्त की. यह खबर है कि यह कार्य हो पाने में ईरान के नेतृत्व के नैतिक नीतिगत चरित्र की बड़ी भूमिका रही, साथ ही उनके सुरक्षात्मक तंत्र का ढांचा साम्राज्यवादी देशों से भिन्न था. इसे अमेरिका और इज़राइल तोड़ नहीं पाये. निर्णय प्रक्रिया को वितरित और स्वायत्त बनाने की बुनियाद पर खड़ा यह ढांचा मनुष्य-समाज को और दुनिया को पुनर्संगठित करने का एक नया मॉडल प्रस्तुत करता है. संभव है कि ईरान में यह मॉडल केवल सुरक्षा तंत्र तक ही सीमित हो. बदलाव के पक्षधरों को यह सोचने व जानने की ज़रूरत है कि आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में इसके क्या रूप हो सकते है? साथ ही विविध क्षेत्रों में इसके विस्तार के बारे में तो सोचने की ज़रूरत है ही.

इसलिए भारत में उठे असंतोष की लहर को जिस दिशा की ज़रूरत है उसे पहचनना ज़रूरी है. बहुजन (सामान्यजन) को अपने लिये और मनुष्य समाज के लिये गुलामी की जंजीरों से मुक्त एक खुशहाल जीवन निर्माण की चाहत है. प्रोफेशनल वर्ग के लोग आधुनिक राज्यसत्ता, उच्च शिक्षा और नौकरियों में स्थान पाने की चाहत रखते हैं . इन दोनों में मेल की संभावना कैसे बने? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही बहुध्रुवीय व्यवस्था की बहस और परिस्थितियां इन दोनों को करीब ला सकती हैं. इसके लिए विपक्ष को देश के अन्दर बहुध्रुवीय व्यवस्था यानि सत्ता के वितरण का एक नया चित्र बनाना होगा. इससे बहुजन स्वराज के निर्माण का रास्ता भी खोला जा सकता है.

भवानीप्रसाद मिश्र की दो कवितायें

यह हो सकता है

यह तो हो सकता है
कि थक जाऊं मैं
पढने-लिखने से
कवि की तरह दिखने से
अच्छा मानता हूँ मैं किसी का भी
किसान या बुनकर दिखना
गीत लिखने से अच्छा
मानता हूँ मैं लिखना फसलें
ज़मीन के टुकड़े पर
अपने दुखड़े पर तरजीह देता हूँ
किसी और के पलभर हंसने को
कमतर मानता हूँ
तौल-तौलकर शब्द ताने कसने को
या कहो उससे अच्छा मानता हूँ
कमर कसना
विनोबा कहते थे
दिल्ली में बसना
स्वर्गवासी हो जाने का पर्याय है
और पूछते थे
क्यों भवानी बाबू
इस पर तुम्हारी क्या राय है?

•

जाहिल मेरे बाने

मैं असभ्य हूँ क्योंकि खुले नंगे पाँव चलता हूँ
मैं असभ्य हूँ क्योंकि धूल की गोदी में पलता हूँ
मैं असभ्य हूँ क्योंकि चीरकर धरती धान उगाता हूँ
मैं असभ्य हूँ क्योंकि ढोल पर बहुत जोर से गाता हूँ

आप सभ्य हैं क्योंकि हवा में उड़ जाते हैं ऊपर
आप सभ्य हैं क्योंकि आग बरसा देते हैं भू पर
आप सभ्य हैं क्योंकि धान से भरी है आपकी कोठी
आप सभ्य हैं क्योंकि जोर से पढ़ पाते हैं पोथी
आप सभ्य हैं क्योंकि आपके कपड़े स्वयं बने हैं

आप बड़े चिंतित हैं मेरे पिछड़ेपन के मारे
आप सोचते हैं कि सीखता यह भी ढंग हमारे
मैं उतारना नहीं चाहता जाहिल अपने बाने
धोती कुरता बहुत जोर से लिपटाए हूँ याने!

•

समाज और देश के
न्यायपूर्ण संगठन और खुशहाली का
रास्ता
बहुजन, सामान्य जीवन,
लोकविद्या, स्वराज और पंचायत
इन पांच अवधारणाओं के आपसी रिश्तों
को समझने से खुल सकता है.

इस अंक के बारे में

हमारे देश में आज स्थिति यह है कि बहुजन (सामान्यजन) निरंतर अपने ज्ञान, जीविका और निवास से विस्थापित किया जा रहा है. इससे मुकाबले का रास्ता समाज की तमाम व्यवस्थाओं में सामान्यजन के ज्ञान और कार्य को वरीयता देने वाली व्यवस्थाओं के निर्माण से ही हो सकता है. इसके ऐतिहासिक अवसर भी बनते जा रहे हैं. रोज़ी-रोटी का सवाल हो या पर्यावरण संकट का, संसाधनों की लूट का सवाल हो या कपट और पक्षपात वाली राजनीति का हो, इनका हल दिल्ली में केन्द्रित राज्यसत्ता के मार्फ़त नहीं होगा. 'सुर साधना' स्थानीय इकाइयों को शक्तिपूर्ण बनाने वाली व्यवस्था पर आधारित समाज निर्माण का पक्ष प्रस्तुत करता आ रहा है. इसके लिए बहुजन स्वराज की कल्पना को साकार करने का आवाहन करता है.

इसी सन्दर्भ में इस अंक में वाराणसी के निवासियों के आन्दोलन पर **रामजनम** का और बुंदेलखंड में केन-बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं के विरोध में उठे आन्दोलन पर **कृष्ण गांधी** के लेख हैं. विस्थापन के विरोध में कई दशकों से प्रभावित निवासियों के आन्दोलन होते रहे हैं. स्थानीय प्रकृति के होने के बावजूद इन आन्दोलनों ने दिल्ली केन्द्रित सत्ता के वितरण की आवश्यकता को अपना मुद्दा नहीं बनाया. अब परिस्थितियां इसे प्रमुख मुद्दा बनाने की मांग करती नज़र आ रही हैं. नगर के पर्यावरण को स्थानीय निवासियों के ज्ञान के बल पर ही हल किया जा सकता है, इस पर **फ़ज़लुर्रहमान** का लेख शामिल है. **'स्वराज यह प्रकृति का नियम है'** इस आशय का संकेत देती **प्रेमलता सिंह** की लोकोक्तियों के सहारे सटीक टिपण्णी है. व्यवस्था की स्थानीय इकाइयों में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े इस दिशा में विचार और कार्य के लिए बहुजन स्वराज के लिए **कृष्णराजुलु, कृष्ण गाँधी और सुरेन्द्रन** ने मिलकर एक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है, जो इस अंक में शामिल है. जीविका, पर्यावरण, व्यवस्था की स्थानीय इकाइयां और बहुजन स्वराज के इर्द-गिर्द यह अंक एक विमर्श प्रस्तुत है.

मांस-मछली के छोटे-छोटे कारोबारियों की जीविका छीनना बंद करो। पहले मांस-मछली का निर्यात और दूर का व्यापार बंद करो।

-चित्रा सहस्रबुद्धे

वाराणसी नगर निगम ने शहर के मांस-मछली के कारोबारियों को शहर के बाहर खदेड़ने का आदेश दिया है. इस आदेश का विरोध नगरनिवासियों को मिलकर करना ही चाहिए और वाराणसी के नागरिक समाज ने जो पहल ली है उसे चहुँओर से समर्थन होना चाहिए.

यह पहला मौका नही है जब सामान्यजन को शहर के बाहर धकेला जा रहा है. इसके पहले मल्लाह समाज, ठेला-पटरी-गुमटीवालों, रंगरेज़ समाज, पावरलूम कारीगरों, और न जाने कितनी बस्तियों को शहर के बाहर किया जा चुका है. इसके लिए तरह-तरह के बेबुनियादी तर्क शहर प्रशासन देता रहा है . कभी ट्राफिक की समस्या हल करने, कभी शहर के सुंदरीकरण अथवा पर्यावरण की शुद्धता बनाने, कभी धार्मिक कारण तो कभी स्वच्छता को बनाये रखने के लिये. लेकिन वास्तविकता तो छोटे-छोटे कारोबार को लोगों के हाथों से छीन कर बड़ी कम्पनियों को देने के ही ये कदम हैं. इसी क्रम में धोबियों को जल स्रोतों से और कुम्हारों को मिट्टी से वंचित किया जा चुका है.

इसलिए नगर निगम की हर योजना और निर्णय में शहर के निवासियों की सहभागिता आवश्यक है और नागरिक समाज की सदारत में इसके रास्तों को बनाना चाहिए.

इस सदी के शुरूआती दशक से ही पर्यटन ने एक बड़े उद्योग का रूप लिया है और पिछले कुछ वर्षों में तीर्थयात्रा के नाम से केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों ने आर्थिक और धार्मिक प्रोत्साहन देकर वाराणसी शहर के स्वभाव को बदल दिया है. वाराणसी न केवल सर्व विद्या की नगरी रही बल्कि कृषि, उद्योग, व्यापार, कला, उपभोग, आस्था आदि के बीच भाईचारे पर आधारित जीवन संगठन का एक आदर्श प्रस्तुत करती रही है. शहर प्रशासन शहर के ही निवासियों को अजनबी बना देने पर जुटा है.

ऐसे माहौल में स्थानीय निवासियों की पहल बढ़ाने के कार्यक्रमों की ज़रूरत है. विविध क्षेत्रों में ये पहल आकार लें इसके लिए स्थानीय संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के तथा शहर की व्यवस्थाओं में शहर निवासियों के विविध ज्ञान की सक्रिय भागीदारी को बनाने के रास्ते बनाए जाने चाहिए.

वाराणसी में मांस-मछली के कारोबारियों की जीविका पर खतरा

-रामजनम

हाल ही में वाराणसी नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें मांस और मछली की दुकानें शहरी सीमा से बाहर करने का निर्णय किया गया है. वाराणसी को धार्मिक नगरी घोषित कर और स्वच्छता का हवाला देते हुए यह प्रस्ताव पारित किया गया है. इस निर्णय से मांस और मछली का कारोबार करने वाले हजारों छोटे कारोबारियों के साथ आम उपभोक्ताओं में हलचल पैदा हो गई है. बनारस में यह कारोबार गरीब सामान्यजन करते हैं, जिनमें प्रमुखत: मल्लाह, बंगाली और मुस्लिम समाज के लोग हैं. अपनी रोजी रोटी के सामने संकट देखते हुए मांस के कारोबारी आंदोलन की राह पर हैं.

वाराणसी शहर के भीतर संचालित मांस मछली की तमाम दुकानों को शहर के बाहर स्थानांतरित करने की नगर निगम द्वारा प्रस्तावित योजना के विरोध में नागरिक समाज के नेतृत्व में मांस कारोबारियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया.

नागरिक समाज की पहल पर 16 जून 2026 को बनारस के प्रमुख विपक्षीदल, जनआंदोलन के कार्यकर्त्ता और मांस-मछली के कारोबारियों की एक संयुक्त बैठक समता भवन, लहुराबीर में हुई. इस बैठक में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सीपीएम, अपना दल कमेरा, ऐपवा, वाराणसी ज्ञान पंचायत, दिशा छात्र संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए. शुरूआती पहल साझा संस्कृति मंच की रही.

सामाजिक कार्यकर्त्ता रामधीरज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पूरे बनारस शहर में मांस-मछली के व्यापारियों से संवाद का एक अभियान चलाया जायेगा और इसी माह की 30 जून को नगर निगम पर संयुक्त प्रदर्शन किया जायेगा. इसी बैठक में एक समन्वय समिति भी बनी, जिसमें राघवेंद्र

चौबे नगर अध्यक्ष कांग्रेस, आनंद मौर्य, महासचिव सपा, कुसुम वर्मा ऐपवा, गगन प्रकाश यादव अपना दल, कैलाश पटेल जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, अजय मुखर्जी सीपीएम, वाराणसी ज्ञान पंचायत से रामजनम, और नगर के विविध संगठनों से आये सामाजिक कार्यकर्त्ता थे, जिनमें मनीष शर्मा, फादर आनंद, धनंजय और लता शामिल हैं.

कारोबारी और आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रस्ताव पारित करने से पहले शहर के कारोबारियों और मांस-मछली खाने वाले आम नागरिकों से राय-बात नहीं किया गया. यह लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का उलंघन है, नगर निगम का एकतरफा निर्णय है. बनारस में मांस-मछली का कारोबार करने वाले अधिकांश व्यापारी गरीब समान्य जन हैं, जो पीढ़ियों से यह धंधा कर रहे हैं. दुकानों को शहर से बाहर करने पर उनका कारोबार ठप हो जायेगा और उनके सामने आजीविका का संकट खडा हो जायेगा. जन आंदोलन के लोगों का कहना है कि नयी काशी और कारिडोर के नाम पर बनारस में छोटी पूंजी से कारोबार और जीविका चलाने वाले किसान, कारीगर और छोटे व्यापारी-दुकानदार सभी को उनकी जमीन, मकान और जीविका से खदेड़ा जा रहा है. यह जीविका के मौलिक अधिकार का हनन है.

नगर निगम और प्रशासन का नज़रिया छोटी दुकान, छोटे कारोबार से पक्षपातपूर्ण है और वे माल, आनलाइन व्यापार, शोरूम और बड़े होटेलों आदि के प्रति आकर्षित हैं. यह प्रस्ताव आम नागरिकों के रोज़ी-रोटी कमाने के अधिकार तथा खान-पान की स्वतंत्रता के अधिकार को छीनता है. स्वच्छता और सुन्दरीकरण के लिए नगर निगम अन्य उपाय कर सकता है. कारोबारियों को बाहर करना एकमात्र उपाय नही है.

आंदोलन के लोगों की मांग है कि मांस मछली कारोबार शहर के बाहर स्थानांतरित करने के एकतरफा आदेश पर तत्काल रोक लगाईं जाय. स्वच्छता, सुन्दरीकरण और कूड़ा प्रबंधन के उचित नियम लागू किये जायें.

शहर की व्यवस्थाओं में कारीगर समाजों की भागीदारी बढ़ेगी तभी पर्यावरण में सुधार होगा.

-फ़ज़लुर्रहमान अंसारी

पर्यावरण और कारीगर समाज का रिश्ता बहुत ही गहरा है. कारीगर अपना काम प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों से ही करते हैं। जैसे बुनकर कपास, रेशम, ऊन. कुम्हार चिकनी मिट्टी, पानी बढ़ई/ लकड़ी, बांस, बेंत लोहार तांबा, पीतल, लोहा ,रंगरेज पेड़-पौधों से मिलने वाले प्राकृतिक रंग जैसे नील, हल्दी, मंजीठा आदि अगर जंगल, नदी या खनिज खत्म हों तो इनका काम ही रुक जाएगा।

कारीगर समाज मूल रूप से इको फ्रेंडली रहा है। कारीगर की चीज़ें हाथ से बनती हैं, इसलिए न तो बड़ी फैक्ट्री जैसा प्रदूषण होता है, न संसाधनों की लूट और न बेहिसाब कचरा पैदा होता है. जैसे कारीगर नजदीक के प्राकृतिक चीजों से उपयोगी सामान बनाते हैं और बचे हुए कचरे से विविध तरह का सामान भी बनाते हैं; पुराने कपड़े अथवा नए कपड़े के टुकड़ों से गुदड़ी, लकड़ी के बुरादे से खिलौने, टूटे बर्तनों को गलाकर नया सामान आदि बना लेते हैं. स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करने से प्रदूषण भी घटता है.

कारीगर समाज पीढ़ियों से मौसम, मिट्टी और पेड़-पौधों को पढ़ते आए हैं। कुम्हार जानता है कि किस मौसम में मिट्टी सबसे अच्छी पकती है। बुनकर जानते हैं कौन सी कपास कब उगती है और कितना पानी चाहिए। प्राकृतिक रंग बनाने वालों को पता है कौन सा पौधा कब तोड़ना है ताकि वो खत्म न ह

जब पर्यावरण बिगड़ता है तो सबसे पहले कारीगर समाज ही टूटता है नदियाँ सूखने से कुम्हारों को मिट्टी और रंगरेजों को पानी मिलना बंद हो जाता है, जंगल कटने से बांस, लकड़ी का संकट गहराता है. रासायनिक खेती से कपास तो मिलती है पर ज़हरीली, जिससे प्राकृतिक रंग नहीं चढ़ता। आज प्लास्टिक और मशीन के सामान ने हाथ के बने उत्पादों की मांग घटा दी। जिससे कारीगर समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है.

आज प्रोफेशनल वर्ग में पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है, मगर उसको बचाने के मॉडल कारीगर समाज में पहले से मौजूद हैं। इस पर बात नहीं हो रही है. हम मानते है कारीगर समाजों को सपोर्ट करने का मतलब पर्यावरण बचाना है.

अंत में बस यही कहना है कि कारीगर-समाज प्रकृति का शोषण नहीं, उसके साथ तालमेल करके जीता है। पर्यावरण बचेगा तो कारीगरी बचेगी, और कारीगरी बचेगी तो पर्यावरण को बचाने के विविध देसी तरीके भी बने रहेंगे। सामाजिक भी गैरबराबरी दूर होगी और स्वस्थ समाज के निर्माण के अनेक रास्ते खुलेंगे.

•

लोकोक्तियों के आइने में स्वराज

-प्रेमलता सिंह

"कोस कोस पर पानी बदले, तीन कोस पर बानी" अरसे से कही जाने वाली इस लोकोक्ति में विविधता गौरव के साथ परिलक्षित होती है। पानी सिर्फ पानी ही नहीं है, यह प्रकृति, उत्पादन, सुरक्षा और साहचर्य का द्योतक है। बानी का अर्थ बोली व भाषा तक सीमित नहीं है। यह जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चेतना के चिन्तन एवं उसके परिदृश्य को व्यक्त करती है। अलग-अलग भूमिक्षेत्रों में हवा, पानी, मिट्टी और बानी की विविधता को आप महसूस कर सकते हैं तो आप बहुजन स्वराज के विचार के सक्रिय स्वरूप (उसके बुनियादी तर्क, नैतिक मूल्यों और जीवन संगठन के ताने-बाने) को समझने की क्षमता सहज हासिल कर सकते हैं.

लोकमानस ने प्रकृति को सदा से विविधताप्रिय, बहुमुखी, जीवंत और बहुआयामी समझा है। इसे उत्पादन और इसकी पद्धतियों, लोकजीवन के आपसी संबंधों, कथा-कहानियों, कहावतों, विभिन्न क़िस्म के कला कौशल, पहनावे व रंगों, त्यौहारों, रीति रिवाज़ों और कार्य व्यापार व ज्ञान में सहज ही देखा जा सकता है। जैसे "जैसा होवे पानी बतास (हवा) वैसा जीवन की आस"। यानि जीवन का संगठन हवा, पानी पर निर्भर है। आगे देखें "अधिकी पानी ना गिराओ पानी का श्राप लगेगा"। जरा सोचिए! आज पानी का संकट भयानकता को पहुँच रहा है जबकि लोक-चेतना में पानी का मूल्य कितनी गहराई तक समाहित है।

लोक चेतना (आस्था) में प्रकृति के पाँचों तत्व (मिट्टी, हवा, पानी, आग, और आकाश) संतुलित व साहचर्य से सन्नद्ध एवं संघटित होकर धरती को विविध जीव-जंतुओं, अनगिनत किस्म की वनस्पतियों, वनों, पहाड़ों, पठारों, रेगिस्तानों, सागर नदियों और झीलों को समृद्ध करते हैं। इनमें से किसी भी तत्व के कुपित होने से विनाश संभव है। मानव समाज की संरचना इससे भिन्न नहीं है। स्वस्थ समाज होने के लिए ज्ञान, संसाधन, संपदा और शक्ति में उचित संतुलन(वितरण) आवश्यक है।

लोकमत, पानी, बानी और कोस (यानि उनके बीच के फासले) के माध्यम से समाज के वैविध्यपूर्ण जीवन को साधते हुए उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है, बसता है। लोकोक्तियों के दर्शन में स्वराज की धार दिखाई देती है।

बहुजन स्वराज की मासिक ऑनलाइन बैठक

बहुजन स्वराज पंचायत की छठी और सातवीं बैठक क्रमश: 15 मई और 15 जून को हुई. इन दोनों बैठकों का विषय जीविका, समाज और पर्यावरण से सम्बंधित था और बनारस नगर के पर्यावरण के सन्दर्भ में लोकविद्या, विश्वविद्यालय और समाज की भूमिका पर विचार हुआ. मुख्य वक्ता के रूप में 15 मई 2026 को **विश्वविद्यालय के शोध छात्र रंजन प्रताप सिंह एवं कारीगर समाज से छेदीलाल निराला और 15 जून 2026 को पसमांदा अधिकार मंच के उपाध्यक्ष अब्दुल माजिद सिद्दीकी और अमान अख्तार आमंत्रित थे.** सातवीं बैठक के प्रमुख वक्ता किसी अन्य बैठक में होने की वजह से शामिल नहीं हो पाए और सातवीं बैठक में शामिल कई अन्य वक्ताओं ने स्थानीय समाजों के ज्ञान की भागीदारी से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की संभावनाओं पर विचार किया.

इन बैठकों में यह उभर कर आया कि विश्वविद्यालय की विद्या आधुनिक उद्योगों और तकनीकियों की वकालत करती है, लेकिन पर्यावरण को यही तो सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा रहे हैं. पर्यावरण के संकट को हल करने की दिशा में बढ़ने के लिए लोकविद्या और विश्वविद्यालय विद्या के बीच सहयोग और टकराहट के बिन्दुओं को चिन्हित करने की ज़रूरत है.

बैठक की वार्ता को शुरू करते हुए **रामजनम** ने कहा कि मौजूदा विकास का मॉडल आम जनता (बहुजन समाज) के ज्ञान और गतिविधियों से कटा हुआ है। जहाँ आम जनता पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है, वहीं उच्च-शिक्षित पेशेवर वर्ग पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। रामजनम ने कहा कि शहर के कूड़ा प्रबंधन का हाल तो बहुत ख़राब है और पिछले दशक में कई कम्पनियाँ आईं, नए-नए मशीन और तकनीकी को अपनाने के प्रयोग हुए, लेकिन शहर की गलियों का कूड़ा जस-का-तस है.

विश्वविद्यालय बनाम लोकविद्या पर **रंजन प्रताप सिंह** ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कई समाजों जैसे कुम्हार, बुनकर और मछुआरे आदि के पास जो ज्ञान है,

वह पानी के प्रदूषण और शहरों में तापमान को नियंत्रित करने जैसी पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए बहुत कीमती है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अक्सर उनके ज्ञान को नज़रअंदाज़ करते हैं और औपचारिक शोध तथा सामुदायिक विशेषज्ञता के बीच तालमेल नहीं बिठा पाते। उन्होंने विश्वविद्यालयों के ज्ञान पर आधारित वाराणसी शहर के पोखरों और तालाबों को जीवंत और शुद्ध बनाने के प्रयासों का उदहारण देकर कहा कि शहर के कारीगर समाजों में इस कार्य को करने का गहरा ज्ञान है लेकिन उनकी सलाह नहीं ली जाती है. वाराणसी में पर्यावरणीय चुनौतियाँ पर रंजन प्रताप सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालयीय विद्या के नेतृत्व में शहर के विकास प्रोजेक्ट, जैसे प्राकृतिक तालाबों को कंक्रीट से ढकना, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं और शहरों में गर्मी बढ़ाते हैं।

छेदीलाल प्रजापति ने कहा कि वाराणसी प्रशासन के पास स्थानीय कुम्हार समाज के बनाए मिट्टी के दीपक की जगह बाहर से दिये मंगाने का क्या तर्क है? प्लास्टिक और थर्मोकोल के बढ़ते इस्तेमाल से प्रजापति कुम्हार समाज की आजीविका पर बुरा असर पड़ता है। और इसके खिलाफ प्रजापति समाज ने संघर्ष भी किया. उन्होंने देव दीपावली जैसे त्योहारों के लिए दीयों के आयात के खिलाफ समाज द्वारा विरोध प्रदर्शनों का भी ज़िक्र किया. शहर का पर्यावरण शहर के निवासियों के ज्ञान की भागीदारी बिना सही नहीं होगा. उनकी और उनके ज्ञान की भागीदारी रोज़ी-रोटी के संकट को भी दूर करेगी.

रामजी यादव ने कहा कि वाराणसी नगर का कूड़ा आस-पास के गाँवों में फेका जा रहा है और इन गांवों में साँस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है. दीनापुर, करसडा, रमना के गाँवों में जाकर देखा जा सकता है.

वक्ताओं ने नीति-निर्माण में पारंपरिक और समाज आधारित ज्ञान और समाजों को शामिल करने की वकालत की। इस बात पर सहमति बनी कि आधुनिक पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए इस कार्य की निर्णय प्रक्रिया और क्रियान्वयन में भागीदार बनाना आवश्यक है. आम लोगों की समझ पर आधारित "स्वराज" या स्व-शासन का तरीका अपनाना ज़रूरी है।

लक्ष्मण प्रसाद, पारमिता, बलवंत यादव, राजकिशोर चौरसिया, फजलुर्रहमान अंसारी, अपर्णा, राजेंद्र प्रसाद, प्रेमलता, राहुल राजभर, एहसान अली, मुहम्मद अलीम , चित्रा, सुनील, गिरीश, अभिजित, कृष्ण गाँधी ने इन बैठकों में अपने विचार प्रस्तुत किये. बैठकों की विस्तृत रिपोर्ट, शब्दांकन और वीडियो विद्या आश्रम की वेब साईट www.vidyaashram.org पर इस लिंक https://www.vidyaashram.org/bspv/ पर उपलब्ध है.

केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) - एक विमर्श

-कृष्ण गांधी

KBLP नदियों को आपस में जोड़ने वाली (ILR) पहली भारत की परियोजना है जो वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के तहत केन बेसिन के तथाकथित अधिशेष (surplus) पानी को तथाकथित पानी की कमी वाले बेतवा बेसिन में भेजने की परिकल्पना की गई है। KBLP सिंचाई, जलविद्युत और जल आपूर्ति के लाभों वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है। मार्च 2030 तक पूरा होने का समय निर्धारित किया गया है।

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 22.03.2021 को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों तथा केंद्र सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत सरकार ने 07.12.2021 को एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) यानी केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (KBLPA) के माध्यम से KBLP के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है (राजपत्र अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022)।

1. परियोजना के संभावित लाभ और प्रभाव

इस परियोजना से सालाना 10.62 लाख हेक्टेयर (मध्य प्रदेश 8.11 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश 2.5 लाख हेक्टेयर) क्षेत्र में सिंचाई, लगभग 62 lakh (मध्य प्रदेश 41 लाख, उत्तर प्रदेश 21 लाख) लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति और साथ ही 103 मेगावाट जलविद्युत (hydropower) और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की उम्मीद है। बिजली उत्पादन का एक हिस्सा परियोजना में सूक्ष्म सिंचाई (micro irrigation) विकसित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, विदिशा, सागर, दतिया, रायसेन, शिवपुरी और उत्तर प्रदेश के झांसी, महोबा, ललितपुर और बांदा जिलों को लाभ मिलेगा। (स्रोत: nwda.gov.in)

- **वृक्ष कटाई का अनुमान अधिकारिक सरकारी अनुमान:** जल शक्ति मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि दौधन बांध और संबद्ध बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए शुरू में लगभग 17,101 पेड़ों की कटाई की पहचान की गई थी, जिनमें से 12,000 से

अधिक पेड़ पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर पहले ही काटे जा चुके हैं।

- **विशेषज्ञ और पर्यावरणविद् अनुमान:** वन सलाहकार समिति (FAC) की विभिन्न उप-समितियों, सर्वोच्च न्यायालय के पैनलों और पर्यावरण समूहों का अनुमान है कि पूरी परियोजना की अवधि में 2.3 मिलियन (23 लाख) से 4.6 मिलियन (46 लाख) के बीच पेड़ हटाए जा सकते हैं।

उपरोक्त आंकड़े विभिन्न सरकारी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों से प्राप्त हुए हैं। लेकिन इन आंकड़ों के अध्ययन मात्र से इस परियोजना के संबंध में वास्तविक चित्र हमें देखने को नहीं मिलेगा।

2. परियोजना से प्रभावित ग्रामीण आबादी

केन-बेतवा नदी को जोड़ने वाली परियोजना से लगभग 21 से 24 गाँव प्रभावित होने की आशंका है। इनमें से लगभग 10 गाँव दौधन बांध के कारण पूरी तरह से जलमग्न होने की कगार पर हैं, जिससे मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों में रहने वाले 7,000 से अधिक आदिवासी और किसान परिवार विस्थापित हो रहे हैं।

- **प्रभावित गांवों की कुल संख्या:** 21 से 24 गांव
- **पूरी तरह से जलमग्न गाँव:** 10 गाँव
- **विस्थापित परिवार:** 7,000 से अधिक परिवार
- **प्रभावित प्राथमिक जिले:** छतरपुर और पन्ना (मध्य प्रदेश)

परियोजना के अंतर्गत भले ही 2013 के भू अधिग्रहण कानून के अंतर्गत मुआवजा, पुनर्वास व पुनर्स्थापनकी बात शामिल की गई हो, लेकिन धरातल पर जिला कलेक्टर (छतरपुर) व जिला कलेक्टर (पन्ना) (जिन दो जिलों में दौधन बांध निर्माण व डूब क्षेत्र आता है) तथा उनके अधीनस्थ रेवेन्यू विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपरोक्त भू अधिग्रहण कानून के प्रावधानों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं और भयंकर रूप से अपारदर्शी भ्रष्टाचार युक्त तरीके अपनाकर वन क्षेत्र में रहने वाले 10 गांवों की किसान और आदिवासी भूस्वामी व मकान मालिकों को न्यायोचित मुवावजा, एवं R&R से उन्हें वंचित कर रहे हैं। मुआवजे केलिए ग्रामवासी अब तक सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगा रहे है, पर बड़ी संख्या में ग्रामवासियों को जायज मुवावजा नहीं मिला है। इसके बावजूद रेवेन्यू अधिकारी बुलडोजर के द्वारा किसानों का घर ध्वस्त कर रहे हैं। मानसून आसन्न है, लेकिन इन किसानों के सामने रहने के लिए न कोई भवन है, न जीविका का कोई साधन है। क्योंकि इसी मौसम से इन गांवों का जलमग्न होना तय है।

3. पर्यावरणीय क्षति

- पन्ना टाइगर रिजर्व की प्रत्यक्ष जलमग्नता: जलाशय रिजर्व के मुख्य क्षेत्र (core area) 542.66 वर्ग किलोमीटर में से लगभग 41.41 से 58.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सीधे जलमग्न कर देगा।
- पूर्ण जलमग्नता: दौधन जलाशय टाइगर रिजर्व के लगभग 90 वर्ग किमी क्षेत्र को जलमग्न कर देगा, जिसमें मुख्य क्षेत्र और लगभग 13.14 वर्ग किमी बफर जोन शामिल है।
- अप्रत्यक्ष प्रभाव: पर्यावास विखंडन और संपर्क की कमी से बाघों के महत्वपूर्ण पर्यावास क्षेत्र के अतिरिक्त 105.23 वर्ग किमी क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा।
- प्रभावित बस्तियां: बाढ़ के कारण मुख्य क्षेत्र के भीतर स्थित गांवों को स्थानांतरित करना पड़ेगा, जिनमें धोधन, पलकोहा और खारियानी-मिनारी शामिल हैं।
- यह सब तब हो रहा है जब पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी शानदार तरीके से बढ़ रही है। इस समय बाघों की संख्या 80 पार कर चुकी है, जबकि 2009 में बाघों की संख्या अनधिकृत शिकार (poaching) के कारण लगभग शून्य पहुंच गई थी। अतः भारत में बाघों के संरक्षण का एक शानदार सफल प्रयोग खटाई में पड़ जाएगा, इसकी पूरी संभावना है।
- दौ धन बांध के कारण करीब 10000 हैक्टेयर वन क्षेत्र के डूबने की संभावना है। इससे इस क्षेत्र में फैले सदाबहार वन और उसके साथ जुड़ी अपार जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। यह एक अपूरणीय पर्यावरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई लगभग असंभव है। कारण यह है कि सदाबहार वन क्षेत्र के तैयार होने में हजारों साल लगते हैं और मानव द्वारा किए जानेवाले कोई भी वृक्षारोपण कार्यक्रम से वह जैव विविधता और पारिस्थितिकी हमे वापस प्राप्त नहीं नहीं होगी जिसे हम खोते हैं। इसलिए सदाबहार वन काट कर अन्य गैर वन भूमि में प्लांटेशन के जरिए नए वन तैयार करने की कम्पनसेटरी अफोरेस्टेशन की सरकारी नीति बायोडायवर्सिटी संबंधित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति करने में अक्षम है। पन्ना टाइगर रिजर्व के डूबने वाले

वन क्षेत्र के बदले अन्यत्र भूमि का बायोडायवर्सिटी युक्त वनारोपण लगभग संभव नहीं है।

- अकेले दौधन बांध निर्माण हेतु 17000 से अधिक वृक्ष काटे जाएंगे। इसमें से 12000 वृक्ष अभी तक काटे जा चुके हैं। दौधन बांध, लिंक कैनाल और प्रथम चरण से संबंधित अन्य निर्माण कार्य पूरा करने में कहा जाता है 40 लाख से अधिक वृक्ष काटे जाएंगे। सूखा ग्रसित बुंदेलखंड में इस कारण औसत तापमान बढ़ेंगे। ध्यान रहे बुंदेलखंड का बांदा जिला जिस पर केन बेतवा लिंक परियोजना का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, वहां गर्मियों में तापमान का 49-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना आम बात हो गई है।
- दौधन बांध से लगे केन नदी के तटीय क्षेत्र में बने चट्टानी संरचनाओं में विशेष प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं जो देश में अन्यत्र कहीं पाए नहीं जाते हैं। बांध से उत्पन्न जल भराव के कारण इन गिद्धों के संरक्षण कार्य बाधित हो जाएगी।
- केन नदी में प्रस्तावित दौधन बांध के नीचे नदी में वर्तमान में घड़ियाल संरक्षण केंद्र संचालित है। बांध निर्माण तथा बांध के पानी का लिंक कैनाल की ओर प्रवाहित कर देने से इस घड़ियाल संरक्षण केंद्र का कार्य प्रभावित हो जाएगी।

केन बेतवा लिंक परियोजना से बांदा जिले में जलसंकट गहराएगा

केन नदी वास्तव में बांदा जिले की जीवन रेखा है। केन नदी में अंग्रेजों के जमाने में बने गंगउ, तथा आजादी के तुरंद बाद बने बरियापुर, रंगावन बांधों के माध्यम से बांदा जनपद में सिंचाई हेतु नहरों की व्यवस्था की गई। इन नहरों द्वारा प्राप्त सिंचाई से बांदा-अतर्रा क्षेत्र में उन्नत किस्म के धान का उत्पादन शुरू हुआ। लेकिन अपर्याप्त रखरखाव तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न सूखे के कारण यह नहर प्रणाली धीरे धीरे नष्ट हो रही है। बांदा शहर की जलापूर्ति भी केन से होती है। केन के जल प्रवाह के कम होने पर बांदा जिले की जनता केलिए पेय जल तथा सिंच जल दोनों की समस्या पैदा हो जाएगी। लेकिन भोपाल तथा लखनऊ में बैठे शासकों व इंजीनियरों का ध्यान इस पर नहीं है। उनका ध्यान बेतवा नदी बेसिन का शहरी औद्योगिक विकास पर केंद्रित है। रायसेन विदिशा, बिना, ललितपुर, झांसी, उरई, हमीरपुर आदि शहरों के विकास पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना के पीछे यही सोच झलक रही है।

परियोजना के पीछे का असल कारण

परियोजना का प्रस्तावित उद्देश्य केन नदी का surplus पानी का जल अभाव ग्रसित बेतवा में स्थानांतरण है। लेकिन यह कहानी पूरी झूठी है; क्योंकिं दोनों नदियों की हाइड्रोलॉजी व जल प्रवाह एक जैसा है। केन में पानी का सरप्लस बिल्कुल नहीं है, न ही बेतवा में पानी का अभाव है। दोनों नदियों में बरसात के महीनों में जल उपलब्धता रहती है, बाकी कम से कम 6 महीने जलप्रवाह बहुत सीमित हो जाती है। असल में अपर केन बेसिन से पानी लोअर बेतवा बेसिन में इसलिए स्थानांतरित किया जा रहा है, क्योंकि मध्यप्रदेश शासन अपर बेतवा बेसिन में बांध निर्माण कर वहां (रायसेन, विदिशा जिले) शहरी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना चाहता हैं। इस कारण लोअर बेतवा बेसिन में (पारीछा बांध में और संबंधित नहरों में) पानी की कमी न हो, यह सुनिश्चित करने केलिए केन से लिंक कनाल द्वारा पानी पारीछा बांध में डाला जा रहा है। अतः यह योजना जल स्थानांतरण योजना न होकर जल प्रतिस्थापना योजना है।

बेतवा केन दोनों नदियां मध्यप्रदेश में आरंभ होती हैं। उनका जलागम क्षेत्र का बड़ा भाग भी मध्यप्रदेश में स्थित है। इसकारण इन नदियों का पानी का बंटवारा मध्यप्रदेश के हक में ज्यादा तथा उत्तर प्रदेश के हक में कम किया गया है। पर अंग्रेजों के समय से उत्तरप्रदेश के सिंचाई विभाग और इंजीनियर अंग्रेज शासित उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने केलिए बांधों और नहरों का निर्माण शुरू किया था, जो आजादी के बाद भी जारी रहा। उल्टे princely states वाले मध्यप्रदेश में परंपरागत चंदेल व बुंदेलकालीन तालाबों के जरिए कृषि होती थी। फलस्वरूप केन व बेतवा में बांधों का निर्माण आजादी के पहले उत्तर प्रदेश के अंग्रेजी शासन और आजादी के बाद वहां के सरकारी सिंचाई विभाग ने किया। केन में मध्यप्रदेश स्थित गंगऊ बांध का निर्माण 1905 में किया गया था। वहीं बेतवा में झांसी के निकट पारीछा बांध भी अंग्रेजों ने ही बनवाया था। इस कारण आजादी के पहले और बाद में मध्यप्रदेश में यमुना की ओर बहनेवाली नदियों में बंधों का निर्माण नहीं किया गया। सारा प्रयास उत्तर प्रदेश शासन ने किया और उत्तर प्रदेश में केन और बेतवा दोनों में कई बांधों का निर्माण हुआ। विशेषकर लोअर बेतवा बेसिन जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने हिस्से के 40% से अधिक पानी का उपयोग किया। अब जब मध्यप्रदेश शासन बेतवा के पानी का अपना 60% हिस्सा मांगना शुरू किया तब लोअर बेतवा में होने वाले

पानी की कमी के समाधान के रूप में यह लिंक परियोजना प्रस्तावित किया गया।

दुनिया भर में बड़े बांध नष्ट किये जा रहे हैं और नदियों का अविरल प्रवाह सुनिश्चित किया जा रहा है।

आज पूरी दुनिया में नदियों के प्रवाह रोकने और उनकी दिशा बदलने हेतु बनाए गए बांधों को बड़े पैमाने पर नष्ट किये है थे हैं। बीसवीं सदी में सैकड़ों की संख्या में संयुक्त राष्ट अमेरिका में बनाए गए बड़े बांध एक एक कर ध्वस्त किए जा रहे हैं। यह इसलिए क्योंकि नदियों के प्राकृतिक प्रवाह से छेड़छाड़ करने के कारण इन नदियों और उनके बेसिनों में गंभीर पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हुआ है*। प्रमुख रूप से बायो डाइवर्सिटी का नाश, नदियों के अविरल प्रवाह को रोकने वाले बांधों से उत्पन्न होनेवाली बाढ़, नदी तल (रिवर बेड) में बड़े पैमाने पर गाद का जमा होना, खेतों का जलभराव के कारण लावणीकरण (salinization) आदि कुप्रभाव इनमें प्रमुख है। अमेरिका की ही तरह यूरोप में भी बांधों के खिलाफ तथा नदियों के अविरल प्रवाह के पक्ष में जन आंदोलन खड़े हुए। वर्तमान दौर में यूरोप और अमेरिका में सैकड़ों की संख्या में बांध तोड़े जा रहे है और पर्यावरण संतुलन पुनर्स्थापित किया जा रहा है।

बड़े बांधों पर आधारित पर्यावरण विनाशी जल सिंचाई परियोजनाओं का विकल्प

बुंदेलखंड की काया पलट देनेवाली परियोजना के रूप में प्रस्तुत इस परियोजना के पर्यावरण विरोधी पक्ष पर सरकार शासन और मीडिया चुप है। पूर्व में गठित पर्यावरणविदों की जांच टीमों ने मोटे तौर पर इस महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित CEC की रिपोर्ट (2019) भी शामिल है। 2011में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस परियोजना केलिए मंज़ूरी देने से मना किया था। इस सबके बावजूद मोदी सरकार ने देश में नदी गठजोड़ के सर्वप्रथम परियोजना शुरू करने की ख्याति प्राप्त करने केलिए सारे विरोध, और पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, व मानवीय पक्षों को नज़र अंदाज करके बुंदेलखंड की जनता पर यह योजना थोप रही है।

सत्ताधारियों की इस मानसिकता के बारे में हम क्या निष्कर्ष ले सकते हैं? सर्वप्रथम यह कि, उनकी मानसिकता प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर समाज को खुशहाली की तरफ ले जाने की किसी सोच पर आधारित नहीं है। प्रकृति को अपना गुलाम के रूप में देखने और उसपर अपना आधिपत्य स्थापित करने की पाश्चात्य सभ्यता की अंधी नकल करने को ही आज के सत्ताधारी "विकास" समझते हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति को रौंद कर, बहुजन के हित और उनकी भागीदारी को ठोकर मारकर, देश के चंद कॉर्पोरेटों के लिए दिनरात दलाली करनेवाले आज सत्ता हथियाए हुए हैं। स्वयं को छप्पन इंच छातीवाला, विश्वगुरु, बुलडोजर बाबा, चाणक्य जैसे उपाधि देने वाले ऐसे सत्ताधारियों से अहिंसा, सहअस्तित्व, सहजीवन, प्रकृति के साथ सामंजस्य आदि विचारों और संवेदनाओं की उम्मीद करना बेईमानी होगी।

हमें अपना रास्ता अहिंसा, भाईचारा, स्वराज जैसे मूल्यों के सहारे तय करना होगा। केंद्रीकृत सत्ता के विकल्प में बहुजन स्वराज के नए आयामों को स्थापित करना होगा।

बुंदेलखंड क्षेत्र के जिले हजारों की संख्या में चंदेलकालीन व बुंदेलकालीन तालाबों से सिंचित हैं। जल संचयन की यह विकेंद्रित प्रणाली ने ही बुंदेलखंड को आज तक आबाद रखा है। यहां की चट्टानी ऊबड़खाबड़ भू संरचना के अनुरूप भूतलीय व भूगर्भीय जल का संवर्धन इन परंपरागत तालाबों ने किया है। विशेषकर टीकमगढ़, छतरपुर, महोबा जिलों में बड़े बांध या नहरों के अभाव में ये ही चंदेलकालीन तालाब खेती और पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति करते आये हैं। हजारों सालों से चली आ रही इस विकेंद्रित जल संचयन की परंपरा आज भी कारगर है, और आगे भी रहेगी । अल्प समय (एक दो सालों में) और कम पूंजी में (औसतन दस लाख के खर्च पर) इन तालाबों का पुनर्निर्माण व पुनरुज्जीवन किया जा सकता है। श्री राजेंद्र सिंह (वाटरमैन) ने इस ओर शासन और सत्ताधारियों का ध्यान आकर्षित करने का अथक प्रयास किया है। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड को पानीदार बनाने का सही विकल्प यही है।

हमें यह समझना होगा कि स्वराज प्रकृति और मानव दोनों के अस्तित्व से अभिन्न रूप से जुड़ी प्रवृत्ति है। स्वराज के बिना मानव, समाज और प्रकृति सारे कुंठित हो जाते हैं। जैसे स्वराज आधारित समाज खुशहाल जीवन बिताता है, वैसे ही स्वराज आधारित प्रकृति भी प्रफुल्लित होने लगती है। पानी के प्रवाह को पूर्ण रूप से रोकने की हमारी चेष्टा प्रकृति के निहित स्वराज को समाप्त करने का कार्य करेगा। नदियों में निर्मल अविरल और पर्यावरणीय जल प्रवाह सुनिश्चित करने में ही प्रकृति और मानव समाज दोनों की भलाई है। आखिर हम कब तक प्राकृति और मानव के बीचके द्वंद्व की मिथ्या को ढोते रहेंगे? आखिर मानव का अस्तित्व भी तबतक ही सुरक्षित है जबतक प्रकृति का अस्तित्व भी सुरक्षित है।

बहुजन स्वराज के लिए कार्यक्रम का प्रस्ताव
चिंतन और चर्चा के लिए

(विद्या आश्रम ने 'बहुजन स्वराज' की अवधारणा को आकार देने के उद्देश्य से एक व्यापक विचार समिति के गठन का कदम उठाया है. बहुजन का एक नये आख्यान के निर्माण की आवश्यकता है और इसके लिए व्यापक शोध चिंतन और रचना के कामों को समाज के बीच आकार देने की पहल करनी है. इस विचार समिति में वे सभी लोग जो भिन्न-भिन्न कार्यक्षेत्रों में हैं और 'सभी की खुशहाली और सम्मानपूर्ण जीवन' के लिए एक नए लोकआधारित विचार/दर्शन/रचनात्मक कार्यक्रम को गढ़ने में सहभागी होना चाहते हैं, उन्हें इस विचार समिति में हम आमंत्रित करते हैं. यह कार्य देश की राजनीति में बहुजन स्वराज की प्राथमिकता पुनः स्थापित करने के व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा होगा. इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सुर साधना के इस अंक से हम इन विचारों, सुझावों और प्रस्तावों को क्रमशः प्रकाशित करना शुरू कर रहे हैं. प्रस्तुत हैं पहला प्रस्ताव).

-डॉ.कृष्णराजुलू और डॉ.कृष्ण गाँधी द्वारा लिखित (डॉ.सुरेंद्रन् के सुझावों सहित)

देश के सामने खड़ी कुछ जटिल समस्याओं के हल में पंचायतों और स्थानीय शासन की अन्य इकाइयों की असरदार भूमिका सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य होगा.

1- नागरिकता का निर्धारण

इन दिनों हमारे देश के बहुजन अपनी नागरिकता और 'वोट के अधिकार' को लेकर आतंक और भय से ग्रसित है। चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई SIR प्रक्रिया के अंतर्गत अपनी नागरिकता और वोट का अधिकार छीने

जाने का डर बहुजन को सता रहा है। देश के दिग्गज वकीलों की दलीलों और जन-आंदोलनों के बावजूद उच्चतम न्यायालय चुनाव आयोग की मनमानी को रोक नहीं पा रहा है, यह भी भय का एक कारण है। ऐसा प्रतीत होता है कि वोटरों द्वारा सरकार के चयन की प्रक्रिया के स्थान पर सरकार द्वारा वोटरों को चुनने की एक नईं परिपाटी शुरू की जा रहीं है।

SIR प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण सुझाव जो सामने आया है वह यह है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता और उसके स्थानीय रहवासी होने के सत्यापन के कार्य में स्थानीय समाज/समुदाय की राय ली जाय, जिससे उस व्यक्ति के वोट करने का अविच्छेद्य संवैधानिक अधिकार बरकरार रह सके। इस आशय को आगे बढ़ाते हुए पंचायत/ नगरपालिका जैसी स्थानीय शासन की इकाइयों को स्थानीय रहवासी की नागरिकता तय करने और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का अधिकार दिया जाय, यह उचित मालूम पड़ता है।

2-न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण

स्थानीय किसानों और कारीगरों द्वारा पैदा की जानेवाली फसलों व उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करने की जिम्मेदारी और अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों जैसे पंचायतों /नगर पालिकाओं को दी जानी चाहिए जिससे असंगठित क्षेत्र के उत्पादकों को अपनी मेहनत का वाजिब प्रतिफ़ल सुनिश्चित करने की स्थितियां बनें। इसके अलावा उत्पादों का क्रय करने और भंडारण करने के कार्य भी स्थानीय शासन को दिया जा सकता है।

3-बहुजन ज्ञान और श्रम के उत्पादन पर जीएसटी न लगाया जाय

शासन की स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित स्थानीय असंगठित क्षेत्र के (बहुजन) के श्रम और ज्ञान से किए जानेवाले उत्पादन GST से स्वतः मुक्त हो। बालू, मुरम, मिट्टी, पानी जैसे स्थानीय संसाधनों वन उपजों आदि के उत्खनन या निष्कर्षण के निर्णय एवं इस पर से प्राप्त होनेवाले रॉयल्टी, व अन्य कर लगाने व वसूलने का अधिकार शासन की स्थानीय निकायों को प्राप्त हो।

बहुजन स्वराज को सशक्त करने में शासन की स्थानीय निकायोंकी भूमिका पर चर्चा क्यों आवश्यक है, इस संबंध में कुछ विचार नीचे प्रस्तुत है।

पूंजीवादी विकास के वर्तमान दौर में पूरी दुनिया में चंद लोगों के हाथों में सत्ता और संपत्ति का केंद्रीकरण हुआ है। सब जगह तानाशाह सत्ता पर बैठे हैं। सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर सहमति के आधार पर निर्णय लेने की लोकतांत्रिक परंपरा सब जगह समाप्त नजर आ रही है। लोकतंत्र भी नाम मात्र रह गया है। 'राष्ट्र' आधारित संप्रभुता युक्त राजसत्ता अप्रासंगिक बनती जा रही है। सभ्यतापरक राजसत्ता का मुखौटा पहनकर साम्राज्यवादी ताकतें फिर से सिर उठा रहीं हैं। बहुजन

की आवाज दबाई जा रही है। उनका अस्तित्व ही खतरे में है, क्योंकी वर्तमान पूंजीवादी विकास हेतु न उनके ज्ञान न उनके श्रम की आवश्यकता है। चंद लोगों द्वारा चंद लोगों के विकास का मॉडल पूरी दुनिया में थोंपा जा रहा है।

इस पृष्ठभूमि में 'स्थानीय समाजों की सक्रिय भूमिका पर केंद्रित स्वराज' की कल्पना एक प्रभावशाली विकल्प मालूम पड़ता है। संविधान के 73वे संशोधन के तहत सृजित पंचायती राज निकायों की भूमिका स्वराज की इस अवधारणा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

आज की पूंजीवादी व्यवस्था जो अत्यंत केंद्रीकृत, विषमतापूर्ण, हिंसक व जनविरोधी रूप धारण कर चुकी है, उसकी जगह स्थानीय निकायों (पंचायत व नगरपालिका के नवरूप) पर अधारित स्वराज का विकल्प हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित कार्यक्रम के माध्यम से स्वराज की वैकल्पिक अवधारणाओं पर एक बृहत् चर्चा शुरू हो सकेगी, यह हमारी मंशा है।

1. अपनी सीमाओं के अंदर रहनेवाले हर व्यक्ति का मतदान का अधिकार एवं नागरिकता तय करने का अधिकार पंचायतों व नगरपालिकाओं को दिया जाय।

2. स्थानीय किसानों से उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने व उन्हें क्रय करने के साथ-साथ उनका भंडारण और वितरण करने का अधिकार पंचायतों व नगरपालिकाओं को प्रदान किया जाय।

3. स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों व छोटे उद्यमियों द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुओं का MSP घोषित कर उनका क्रय, भंडारण व विपणन करने का अधिकार पंचायतों व नगरपालिकाओं को दिया जाय।

4. अपनी सीमाओं में रहनेवाली आबादी की खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी व अधिकार पंचायतों व नगरपालिकाओं पर सौंपी जानी चाहिए। स्थानीय किसानों द्वारा उत्पादित खाद्य वस्तुओं का भंडारण, वितरण आदि करने के लिए आवश्यक ढांचों (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के निर्माण करने और आवश्यक वित्तीय संसाधन प्राप्त करने का भी अधिकार पंचायतों व नगरपालिकाओं को प्राप्त हो।

5. किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों व अन्य छोटे उद्यमियों द्वारा उत्पादित माल पर GST की छूट देने के अलावा अन्य प्रकार के कर वसूलकर अपनी आय बढ़ाने का अधिकार पंचायतों व नगरपालिकाओं को प्राप्त होगा।

6. शासन के सबसे निचले स्तरों पर जैसे ग्राम सभा, मोहल्ला, वार्ड के स्तर पर स्वराज कैसे सशक्त किया जाय इसके प्रयोग करने और स्वराज मजबूत करने के उद्देश्य से कार्यशाला व प्रशिक्षण के आयोजन किए जायें।

•

वाराणसी ज्ञान पंचायत की पहल

शहर की व्यवस्थाओं में सामान्यजन के ज्ञान और कार्य की भागीदारी बनाने के विचार और पहल को आकार देने का एक मंच **वाराणसी ज्ञान पंचायत** है. इसके तहत नगर के विविध स्थानों पर ज्ञान पंचायत आयोजित होती रही हैं, जिसमें सामान्य जन के ज्ञान के प्रकार और क्षमताओं पर चिंतन होता रहा है. साथ ही वार्ड के विविध क्षेत्रों के ज्ञानियों की सूची बनाने के प्रयास हुए. मोहल्लों, बाजारों, वार्डों में आयोजित **इन ज्ञान पंचायतों ने ग्राम पंचायतों की तर्ज पर वार्ड पंचायतों का विचार सामने लाया है.** सोच यह हैं कि ये वार्ड पंचायतें अपने वार्ड को वार्ड निवासियों के ज्ञान के बल पर बनाने और निखारने में अपने वार्ड के सभासद के सामने प्रस्ताव रखेंगी और इसके क्रियान्वयन के रास्ते खोलेंगी. इस दिशा में विविध बैठकों में विविध विचार और सुझाव आये, जिनमें से कुछ यहाँ दिए जा रहे हैं.

- वार्ड में सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और वार्ड के बाज़ार की व्यवस्थाओं और प्रबंधन में वार्ड पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका हो.
- वार्ड में लगाने वाले मेले, उत्सव आदि के आयोजन में वार्ड निवासियों की भागीदारी हो.
- वार्ड के अन्दर वाहनों को खड़ा करने, रिक्शा एवं ऑटो के स्टैंड्स बनाने और उनके प्रबन्धन में वार्ड पंचायतों को फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए.
- वार्ड के कूड़े का निस्तारण वार्ड के निवासियों के हाथ में होना चाहिए और उनके ज्ञान की भागीदारी के साथ होना चाहिए. इसके लिए आवश्यक तकनीकी और प्रबंधन पर प्रयोग करने के लिए विश्वविद्यालय को फंड्स देने की बजाये वार्ड की पंचायतों को मिलना चाहिए.

- वार्ड पंचायत को वार्ड से कर संग्रह करने के अधिकार होने चाहिए ताकि जलस्रोतों और जल आपूर्ति के साधनों के रखरखाव, सड़कों पर बिजली से प्रकाश की व्यवस्था, सड़क आदि जैसी व्यवस्थाओं का निर्माण व रखरखाव वार्ड निवासियों के ज्ञान और कौशल से सहज और शीघ्र हो सके.

रपट

बहुजन स्वराज पंचायत का आयोजन हुआ

30 जून 2026, गाँव सिंहपुर, वाराणसी

-लक्ष्मण प्रसाद

वाराणसी के सारनाथ वार्ड के सिंहपुर गाँव में 30 जून 2026 को बहुजन स्वराज पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिंहपुर गांव के आसपास के किसान सम्मिलित हुए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी भागीदार हुई । यह पंचायत मूल रूप से महिलाओं पर केंद्रित रहा। पंचायत की शुरुआत सिंहपुर गांव के किसान नंदू पाल के किसान गीत से हुआ। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले के जीवन और संघर्ष को याद किया गया। पंचायत में निम्नलिखित प्रमुख चर्चाएं हुई.

बहुजन स्वराज पंचायत के प्रत्येक शब्द की ठीक ढंग से व्याख्या की गई। बहुजन शब्द की व्याख्या के साथ-साथ बहुजन का स्वराज कैसा हो, इस पर चर्चा हुई। पंचायत में स्वराज की आत्मा बसती है, और स्वराज के द्वारा ही बहुजन समाज की पुनर्प्रतिष्ठा हासिल हो सकती है। इसके लिए गांव और शहर में ज्ञान पंचायते आयोजित कर समाज को संगठित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। बहुजन समाज अर्थात किसान, कारीगर, आदिवासी, महिलाएं, छोटे-छोटे दुकानदार इत्यादि के आय और ज्ञान पर चर्चा हुई। ज्ञान की गैर बराबरी समस्त गैर बराबरियों की जड़ है। इन सारी बातों पर चर्चा हुई।

गांव की महिलाओं की ओर से महिला स्वतंत्रता, समानता, तथा संविधान में महिलाओं के अधिकार इत्यादि के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। महिलाओं को अपना हक-अधिकार पाने के लिए और शोषण से मुक्ति के लिए महिला जागरूकता को परम आवश्यक माना गया। महिला कबड्डी कोच श्याम बिहारी पाल ने अपने जीवन संघर्ष की कहानी का वर्णन किया। सुधा दक्ष प्रजापति ने एक क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किया। राजेंद्र प्रसाद मानव ने स्वरचित कविता पाठ किया।

प्रमुख रूप से कमलेश कुमार, रामजनम, लक्ष्मण प्रसाद फजलुर्रहमान अंसारी, श्याम बिहारी पाल, नंदू पाल, शर्मिला पटेल, रामदुलार प्रजापति एडवोकेट ने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती श्री हीरामनी पटेल तथा संचालन सुधा दक्ष प्रजापति ने किया। इस पंचायत के वीडियो विद्या आश्रम की वेब साईट www.vidyaashram.org पर देखें.

वाराणसी ज्ञान पंचायत

वाराणसी ज्ञान पंचायात यह वाराणसी के लोगों, स्त्री-पुरुषों का ज्ञान-मंच है. इस ज्ञान-मंच की मान्यता यह है कि हर मनुष्य, स्त्री और पुरुष, ज्ञानी है. यह ज्ञान-पंचायात ज्ञान पर जन-सुनवाई का रूप भी है. इस पंचायत में पढ़े-लिखे और अनपढ़, प्रोफ़ेसर और सामान्य गृहणी, कृषि वैज्ञानिक और किसान, टेक्सटाइल इंजीनीयर और बुनकर, जल वैज्ञानिक और मल्लाह के ज्ञान में ऊँच-नीच नहीं की जाती और सभी के ज्ञान को बराबरी का दर्जा दिया जाता है.

बहुजन स्वराज का आधार

किसान, कारीगर, आवदिासी, लोक-कलाकार,
महिलाएं, ठेला-पटरी-गुमटी के दुकानदार
और सेवा-मरम्मत करने वाले सभी परिवार ,
ये सब हैं लोकविद्या के ज्ञानी और जानकार.

जब माना जायेगा लोकविद्या को भी ज्ञान,
और मिलेगा पढ़े-लिखे लोगों के ज्ञान-सा सम्मान
जब होगी इनकी आमदनी भी सरकारी कर्मचारी-सी,
तभी मिलेगी इस मुल्क को सच्ची आज़ादी.

•

बहुजन-समाज के हर परिवार की आय सरकारी कर्मचारी के बराबर, पक्की और नियमित हो. इसी में देश की खुशहाली का रास्ता है.

•

वाराणसी ज्ञान पंचायत के लिए लोकविद्या जन आन्दोलन, भारतीय किसान यूनियन, स्वराज अभियान, बुनकर साझा मंच और कारीगर नजरिया द्वारा संयुक्तरूप से संयोजित. [संपर्क : चित्रा सहस्रबुद्धे (9838944822), लक्ष्मण प्रसाद (9026219913), रामजनम (8765619982), फ़ज़लुर्रहमान अंसारी (7905245553)]
पता : विद्या आश्रम, सा 10/82 अशोक मार्ग, सारनाथ, वाराणसी-22100